;g fujh{k.k vk[;k ftyk vk;qosZfnd ,oa ;wukuh vf/kdkjh nsgjknwu }kjk miyC/k djk;h xbZ lwpuk ds vk/kkj ij rS;kj dh x;h gSA dk;kZy;k/;{k }kjk miyC/k djk;h x;h fdlh =qfViw.kZ lwpuk vFkok vizkIr lwpuk ds fy, egkys[kkdkj (ys[kkijh{kk)] mRrjk[k.M] nsgjknwu dh dksbZ ftEesnkjh ugha gksxhA ftyk vk;qosZfnd ,oa ;wukuh vf/kdkjh nsgjknwu dh ys[kkijh{kk ekg 04@2013 ls 04@2016 rd ds ys[kk vfHkys[kksa dh ys[kkijh{kk Jh fot; dqekj ofj0 ys[kkijh{kd] Jh Hkkuq izrki flag] lgk;d lEisz{kk vkf/kdkjh ,oa Jh ,l ds xqIrk lgk;d lEisz{kk vkf/kdkjh }kjk fnukWad 18-05-2016 ls 23-05-2016 rd lEikfnr ys[kkijh{kk izfrosnuA

Hkkx&izFke

(v) ifjp;kRed%&

1- bl dk;kZy; dh foxr ys[kkijh{kk loZ Jh Mh0 ds0 fiiykuh l0ys0i0v0],oa loZ Jh jk?kosUnz flag l0 ys0 i0 vf/k0 }kjk lEiUu gqbZA ftlesa [k.M esa ekg 09@2011 ls 03@2013 rd ds ys[kk vfHkys[kksa dh tkap dh x;hA

2- ys[kkijh{kk vof/k esa fuEu vf/kdkfj;ksa us dk;kZy;k?;{k dk inHkkj laHkkys j[kk%&

1- Mk0 th0 Mh0 peksyh 28@07@2012 ls 28@08@2013

2- Mk0 ujsUnz flag fyaxoky 29@08@2013 ls 26@05@2014

3- Mk0 ds0 ds0 flag 27@08@2014 ls orZeku rd

3. foxr lEizs{kk ls vc rd fuEufyf[kr [k.Mh; ys[kkf/kdjh [k.M esa lEc} jgs%& fjDr

4- foxr ys[kkijh{kk izfrosnuksa ds vfuLrkfjr izLrjksa dh v|ru fLFkfr &“kwU;

4- lrr~ vfu;ferrk;sa & “kwU;

5- vizLrqr vfHkys[k (dkj.k lfgr) & “kwU;

06- ctV

(Ykk[k ` esa)

Ok’kZ	vkcaVu	O;;
2013&14	1142-03	1126-85
2014&15	1284-08	1168-35
2015&16	1504-65	1405-48

भाग दो (C)

प्रस्तर-01: ` 227.11 लाख के स्वीकृत लागत का कार्य शासनादेश के विरुद्ध बिना एमओयू के किया जाना, भवन निर्माण के विभिन्न मानकों का परिपालन निर्माण संस्था द्वारा सुनिश्चित नहीं करना, परियोजना मे ` 30.7 लाख की वृद्धि (और धनराशि अवमुक्त करने) के पूर्व में शासन स्तर से अनिवार्य स्वीकृति नहीं प्राप्त करना, और विभागीय शिथिलता के फलस्वरूप निर्माण परियोजना के लागत बढ़ने के साथ ही लाभार्थीयों का वांछित लाभ से वंचित रहना।

उत्तराखंड शासन ने पत्र सं 475/xxvii(7)/2008 दिनांक 15 दिसंबर 2008 के द्वारा कार्यदायी संस्था के साथ प्रत्येक निर्माण कार्य को आबंटित करते समय उक्त पत्र मे वर्णित प्रारूप के अनुसार एमओयू को हस्ताक्षरित करने को सुनिश्चित करने को आदेशित किया था। इस एमओयू का उद्देश्य लागत व निर्माण अवधि मे वृद्धि को हतोत्साहित करना है। जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, देहरादून के अभिलेखों की संप्रेक्षा जांच मे पाया गया कि निम्नलिखित निर्माण कार्य कार्यदायी संस्थाओं को बिना एमओयू हस्ताक्षरित किए ही सौंप दिये गए–

तालिका-1

(` लाख मे)

कार्य का नाम	निर्माण एजेंसी	कार्य प्रारम्भ का समय	कार्य पूर्ण होने का समय	स्वीकृत लागत (Sanctioned Cost)	संशोधित लागत (Revised Cost)	एमओयू किया गया? (हाँ/नहीं)
माज़रा, देहरादून स्थित राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय/चिकित्सालय का विस्तारीकरण	USIDC Ltd.	2012-13 (5.07.2012)	अपूर्ण	69.28	99.98	नहीं
भट्टा, देहरादून स्थित राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय/चिकित्सालय के भवन का निर्माण	RES	2012-13	अपूर्ण	39.55	NA	नहीं
मेंडाल, देहरादून स्थित राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय/ चिकित्सालय के भवन का निर्माण	RES	2011-12	2014-15	38.70	NA	नहीं
जिसाऊ, घराना ब्लॉक, कालसी मे राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय/चिकित्सालय का निर्माण	RES	2012-13	अपूर्ण	48.88	NA	नहीं
			Total	**227.11**[1]		

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि ` 227.11 लाख के स्वीकृत लागत के कार्य बिना एमओयू के प्रारम्भ किए गए। एमओयू के अभाव मे भवन निर्माण के विभिन्न मानकों यथा भूकंपरोधी क्षमता, वर्षा जल संग्रहण और अग्नि-सुरक्षा का परिपालन निर्माण संस्था द्वारा सुनिश्चित करना संभव नहीं था। देहारादून भूकंप के मामले मे बहुत ही संवेदनशील क्षेत्र है। अतः ऐसी लापरवाही से जान-माल के क्षति की संभावना भी बनी रहती है।

बिना एमओयू के उपरोक्त कार्यों को निर्माण संस्थाओं को सौंपे जाने और भवन-निर्माण के मानको के अनुपालन के संबंध मे संप्रेक्षा द्वारा पुछे जाने पर इकाई ने अपने उत्तर मे कहा है कि वर्तमान मे सभी कार्यों का एमओयू किया जा रहा है और मानको के अनुपालन के संबंध मे कार्यदायी संस्था से पत्राचार किया जाएगा।

[1] माज़रा, देहरादून स्थित राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय/चिकित्सालय के विस्तारीकरण कार्य का संशोधित लागत ` 99.98 लाख होने के साथ ही बिना एमओयू के निष्पादित कार्यों का सकल स्वीकृत लागत ` 227.11 लाख हो जाता है ।

उत्तर संप्रेक्षा को मान्य नहीं है क्योंकि प्रश्न पुराने भवन-निर्माण के बार मे पुछे गए हैं और सभी कार्य पूर्ण होने के कगार पर हैं, ऐसे मे भवन-निर्माण के मानकों के संदर्भ मे कार्यदायी संस्थाओं से पत्राचार करने का कोई लाभ नहीं है।

(B) माज़रा, देहरादून स्थित राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय/चिकित्सालय के विस्तारीकरण का कार्य उत्तराखंड राज्य अवस्थापना विकास निगम लिमिटेड को ` 69.28 लाख के स्वीकृत लागत के साथ वर्ष 2012-13 मे दिया गया।

निर्माण संस्था ने RCC एवं स्टील के कार्य मे अत्यधिक बढ़ोत्तरी कि बात करते हुए परियोजना का पुनरीक्षित डीपीआर/आगणन धनराशि ` 99.98 लाख किया। इस पर जिलाधिकारी देहरादून ने दिनांक 19.08.2015 को स्वीकृति प्रदान कर दिया।

परियोजना मे ` 30.7 लाख की वृद्धि और धनराशि अवमुक्त करने से पूर्व शासन स्तर से स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य और अपेक्षित था।

इस संदर्भ मे संप्रेक्षा द्वारा पुछे जाने पर विभाग ने बतलाया कि पुनरीक्षित डीपीआर को शासन स्तर से स्वीकृति दिलाने हेतु पत्राचार किया जाएगा।

उत्तर संप्रेक्षा को मान्य नहीं है क्योंकि वर्तमान मे बढ़े हुए परियोजना लागत की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है और निर्माण संस्था के पत्र के अनुसार जुलाई, 2016 मे कार्य पूर्ण हो जाएगा। ऐसे मे शासन से post-facto स्वीकृति प्राप्त होना संभावित प्रतीत नहीं होता है।

(C) वर्तमान मे विभाग के चार निर्माण कार्य अपूर्ण और विलंबित है। परियोजना मे विलंब की स्थिति मे परियोजना का लागत बढ़ने के साथ ही लाभार्थी भी वांछित लाभ प्राप्त नहीं कर सके। विभाग को विलंब कि स्थिति मे निर्माण संस्थाओं पर अर्थदण्ड लगाना चाहिए था।

इस संदर्भ मे पुछे जाने पर विभाग ने अपने उत्तर मे बतलाया कि विलंब से धन प्राप्त होने के कारण योजना मे विलंब हुआ है इस लिए कोई भी अर्थदण्ड निर्माण संस्थाओं पर नहीं लगाया गया।

उत्तर संप्रेक्षा को मान्य नहीं है क्योंकि संप्रेक्षा के दौरान धनराशि को अवमुक्त करने के संदर्भ मे शासन से किए गए पत्राचार मे कोताही बरती गई थी। यह मामला पूरी तरह विभागीय शिथिलता का है।

विभागीय शिथिलता के फल स्वरूप निर्माण परियोजना के लागत बढ़ने के साथ ही लाभार्थी भी वांछित लाभ को प्राप्त करने मे असफल रहे।

इस प्रकार ` 227.11 लाख के स्वीकृत लागत का कार्य बिना एमओयू के प्रारम्भ किया जाना, भवन निर्माण के विभिन्न मानकों (यथा भूकंपरोधी क्षमता, वर्षा जल संग्रहण और अग्नि-सुरक्षा) का परिपालन निर्माण संस्था द्वारा सुनिश्चित नहीं करना, परियोजना मे ` 30.7 लाख की वृद्धि (और धनराशि अवमुक्त करने) की पूर्व में शासन स्तर से अनिवार्य स्वीकृति नहीं प्राप्त करने और विभागीय शिथिलता के फल स्वरूप निर्माण परियोजना के लागत बढ़ने के साथ ही लाभार्थीयों के वांछित लाभ से वंचित रहने का प्रकरण शासन के संग्यान मे लाया जाता है।

भाग दो 'ब'

प्रस्तर 2 : **vf/kizkflr fu;ekoyh 2008 ds fu;eksa fo:} Ø; ` 107230-00 fd;k tkuk A**

mÙkjk[k.M "kklu foÙk¼os0vk0&lk0fu0½ vuqHkkx&7 la[;k XXVII¼7½@2008 ds fnukad 15 twu] 2015 mÙkjk[k.M vf/kizkflr la"kks/ku fu;ekoyh 2015 ds LrEHk&2 ds fu;e 9 ds vuqlkj izR;sd volj ij ` 50]000 ls vf/kd rFkk ` 3-00 yk[k rd ykxr dh lhek esa dh tkus okyh lkexzh dk foHkkxk/;{k@dk;kZy;k/;{k }kjk lE;~d :Ik ls xfBr rhu leqfpr Lrj ds lnL;ks dh LFkk;uh; Ø; lfefr dh laLrqfr;ksa ij fd;k tk ldrk gSA bl Ø; lfefr esa vfuok;Z :Ik ls ,d lnL; foRrh; lsokvksa ;k ys[kk ijh{kk lsokvksa ;k vf/kizkflr dz; izfØ;k esa fo"ks'k :Ik ls izf"k{k.k izkIr vf/kdkjh@deZpkjh gksxk] tks vf/kizkflr lacaf/kr izfd;kvksa vksSj foÙkh; fu;eksa ij ijke"kZ nsxkA ;g Ø; lfefr njksa dh ;qfDr;qDrrk] xq.korRrk rFkk fof"k'Vrk lqfuf"pr djus ds fy, cktkj dk losZ{k.k djsxh vkSj mi;qDr vkiwfrZdrZk fpfUgr djsxhA Ø; vkns"k nsus dh laLrqfr ls iwoZ lfefr ds lnL; la;qDr :Ik lss fu;ekuqlkj izek.k i= vfHkfyf[kr djsxsaA mDr fu;ekoyh ds v/;k; ,d ds fu;e nl ds vuqlkj fuEurj njksa dk ykHk izkIr djus ds fy, ;Fkklk/; vf/kdre vko";d ek=k dh ,d lkFk vf/kizkflr dk iz;kl fd;k tk,A vf/kizkflr ewY; de djus ds fy, vko";d ek=k dks foHkftr ugh fd;k tk,xk vkSj ugh dqy vko";drk ds vkdafyr ewY; ds lUnHkZ esa visf{kr

mPprj izkf/kdkjh dh laLohd`fr izkIr djus dh vko";drk ls cpus ds fy, NksVs&NksVs Hkkxksa esa foHkDr fd;k tk,xkA

ftyk vk;qosZfnd ,oa ;wukuh vf/kdkjh nsgjknwu dh ys[kk vfHkys[kksa dh tkap esa ik;k x;k fd mÙkjk[k.M "kklu ds funsZ"kkuqlkj prqFkZ Js.kh ds deZpkjh;ksa dks xzh'edkyhu@"khrdkyhu onhZ ,oa flykbZ nh tkuh FkhA mDr ds vuqlkj dk;kZy; }kjk fnukad 15&03&16 dks ` 19053-00 ,oa fnukad 21&03&16 dks ¼` 26255-00+51975.00+9947.00=88177.00½ dqy ` 107230-00 dh [kjhn ,l dqekj dysD"ku nsgjknwu ls dh x;hA tc dz; ` 50000-00 ls vf/kd dh gksuh Fkh rks dz; lfefr dk xBu fd;k tkuk vko";d Fkk ijarq Ø; lfefr xBu ls cpus ds fy, mls NksVs NksVs Hkkxksa es foHkDr fd;k x;k A

mDr ds laca/k esa bafxr fd;s tkus ij bdkbZ }kjk voxr djk;k x;k fd vyx&vyx ys[kkf"k'kZd ls prqFkZ Js.kh dkfeZdksa dh ofnZ;k Ø; ,oa flyokbZ x;h vr% vkiwfrZ vkns"k i`Fkd&2 fn;s x;sA

mÙkj ekU; ugh Fkk D;ksafd fu;ekuqlkj fuEurj njksa dk ykHk izkIr djus ds fy, ;Fkklk/; vf/kdre vko";d ek=k dh ,d lkFk vf/kizkfIr dk iz;kl fd;k tkuk pkfg, Fkk ,o Ø; lfefr xfBr dh tkuh pkfg, FkhA

vr% vf/kizkfIr fu;ekoyh ds f[kykQ Ø; djus dk ekeyk mPpkf/kdkjh;ksa ds laKku esa yk;k tkrk gSA

Hkkx&rhu

Yk?kq ,oa izfØ;kRed vfu;ferrk;sa] ftudk lek/kku@fujdkj.k ys[kkijh{kk LFky ij ugha fd;k tk ldk gS] mUgas i`Fkd :Ik ls uewuk ys[kkijh{kk fVIi.kh esa lfEefyr dj vyx ls ftyk vk;qosZfnd ,oa ;wukuh vf/kdkjh nsgjknwu dks bl vk”k; ls izsf’kr dh x;h dh os ys[kkijh{kk fVIi.kh dh izkfIr ds ,d ekg ds vUnj mldh vuqikyu vk[;k lh/ks ofj’B miegkys[kkdkj@lkekftd {ks=] dk;kZy; egkys[kkdkj ¼ys[kkijh{kk½] mŸkjk[k.M] lh&1@105 oSHko iSysl] bfUnjkuxj] nsgjknwu dks izsf"kr djuk lqfuf'pr djsaA

Okfj"B ys[kkijh{kk vf/kdkjh
¼lkekftd {ks=½